न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0खान
आई.ए.एस.

विविध अपील संख्या 51/2021

नसरीन बानू पुत्री फकरूदीन चौहान पत्नि खालिद हुसैन, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्रा0पो0 भीमसर, जिला झुंझुनू।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं।
2. बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, झुंझुनूं जिला झुंझुनूं।
3. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भीमसर, पंचायत समिति झुंझुनू, जिला झुंझुनूं।
4. समीरा बानो पत्नि आसिफ अली, निवासी भीमसर, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

अपील बखिलाफ आदेश बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, झुंझुनूं

1. नसरीन बानू पुत्री फकरूदीन चौहान पत्नि खालिद हुसैन, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्रा0पो0 भीमसर, जिला झुंझुनू— अनुपस्थित
2. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं— स्वयं उपस्थित
3. बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, झुंझुनूं जिला झुंझुनूं— अनुपस्थित
4. ग्राम पंचायत भीमसर, पंचायत समिति झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं—अनुपस्थित
5. समीरा बानो पत्नि आसिफ अली, निवासी भीमसर, जिला झुंझुनूं— अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :—18.10.2021

आदेश

प्रार्थिया नसरीन बानू पुत्री फकरूदीन चौहान पत्नि खालिद हुसैन, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्रा0पो0 भीमसर, जिला झुंझुनूं ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 6891/2021 उनवानी नसरीन बानो बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2021 की प्रति पालना करवाने बाबत पेश कर आंगनबाडी केन्द्र सं0 3 भीमसर के रिक्त आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति देने का निवेदन किया। अपील दर्ज की जाकर उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं से रिपोर्ट तलब की गई एवं रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार है:—

Appeal lies against order of recommendation of appointment on the post of Anganbari worker before the Collector of the District concerned. Granting liberty to the petitioner to file an appeal before the Collector of the District concerned, the

present writ petition is dismissed on the ground of alternative efficacious remedy.

Counsel further submits that in compliance of the order passed by this court, the petitioner has submitted an appeal before the District Collector, Jhunjhunu on 23-02-2021 with regard to her appointment on the post of Anganbari worker of village Bhimsar District Jhunjhunu. Counsel further submits that the District Collector Jhunjhunu has not decided the appeal submitted by the petitioner within a period of three months.

In that view of the matter, this writ petition stands disposed of with a direction to the District Collector, Jhunjhunu to decide the appeal submitted by the prtitioner preferably within a period of one month from submitting the certified copy of this order.

अपील व निर्णय दिनांक 05.07.2021 के बाबत उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स को सुनवाई हेतु सूचित किया गया। उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं ने अपने पत्रांक 1138 दिनांक 12.08.2021 द्वारा न्यायालय में तथ्यात्मक प्रतिवेदन पेश किया जिसके अनुसार अपीलान्ट नसरीन बानू ने भीमसर मे आंगनबाडी भर्ती मे निजी मान्यता प्राप्त विघालय मे पढाने का अनुभव प्रमाण पत्र सलंग्न किया गया था। परन्तु वरियता सूची बनाते समय अनुभव के अंक नही दिये गये है। इस संबंध मे निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं, राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक प 11(3)/मो0/विविध/आईसीडीएस/2015/पार्ट–2/2516 दिनांक 15.01.2020 मे आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रूप मे 1 वर्ष का कार्यानुभव होने पर कार्यानुभव के अंक प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अनुभव के पूर्णांक नही दिया गया है। उक्त आदेश की अनुपालना मे ही अपीलान्ट को निजी विघालय मे पढाने के अनुभव का पूर्णांक नही दिये गये है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

विभागीय प्रतिनिधि सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित। अपीलान्ट नसरीन बानू एवं रेस्पोडेन्ट समीरा बानो बावजूद उपस्थित नही। अपीलान्ट नसरीन बानू एवं रेस्पोडेन्ट समीरा बानो की अनुपस्थिति मे एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों के अनुसार आंगनबाडी केन्द्र सं0 3 भीमसर के रिक्त पद आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर चयन सूची बनाते समय उसे निजी विघालय मे पढाने के अनुभव प्रमाण पत्र के 3 अंक प्रदान नही किये गये। यदि उसे उक्त अनुभव प्रमाण पत्र के 3 अंक दिये जाते तो अपीलान्ट का चयन हो जाता। इस प्रकार मुझे अनुभव प्रमाण पत्र के 3 अंकों से वंचित कर रेस्पोडेन्ट समीरा बानो का गलत चयन किया गया है। अतः रेस्पोडेन्ट समीरा बानो का चयन निरस्त कर अपीलान्ट का चयन आंगनबाडी केन्द्र सं0 3 भीमसर के रिक्त पद आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर किया जावे।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपील मे वर्णित तथ्यों/कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं, राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक प 11 (3)/मो0/विविध/आईसीडीएस/2015/पार्ट–2/2516 दिनांक 15.01.2020 के अनुसार आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रूप मे 1 वर्ष का कार्यानुभव होने पर कार्यानुभव के 3 अंक प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अनुभव के

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अंक देय नही है। नियमानुसार अनुभव के 3 अंकों की पात्रता नही रखने के कारण ही अपीलान्ट को उक्त 3 अंक नही दिये गये है। अतः अपीलान्ट की अपील निरस्त कर रेस्पोडेन्ट समीरा बानो का चयन बहाल रखा जावे।

हमने अपील तथ्यों, विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं रिपोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। चूंकि आंगनबाडी केन्द्र सं0 3 भीमसर के रिक्त पद आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर चयन के लिए कार्यानुभव के 3 अंकों की पात्रता नही रखने के कारण उसे 3 अंकों का लाभ नही दिया गया। विभाग के परिपत्र के अनुसार ही 6 अंक होने से रेस्पोडेन्ट समीरा बानो का चयन किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य नही है। अतः सारहीन होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं एवं बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं को सूचनार्थ प्रेषित की जावें। आदेश की एक प्रति अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के निवास पर डाक से भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर,झुंझुनूं
18/10/21